रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 439] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 1978/आश्विन 4, 1900

No. 439] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 1978/ASVINA 4, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1978

का० आ० 570 (अ)-(अ)/18 च ख/उ० वि० वि० अ०/78 — भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 547(अ)/18एफ० बी०/आई० डी०/आर०/ए०/75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि —

(क) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां मैसर्स बेम एण्ड पब्लिक इण्डस्ट्रीज लि० कलकत्ता के नाम से, ज्ञात औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगी।

(ख) सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का, जो प्रवृत्त हैं प्रवर्तन जिसमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व लागू हो और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारों विशेषाधिकारों बाध्यताएं और दायित्व 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेंगे।

और उक्त आदेश की अवधि को 26 सितम्बर, 1978 तक के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार, का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि 26 सितम्बर, 1979 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है के लिए और बढ़ती है।

[सं० फ० 2/(28)/75-सी० यू० सी०]

पी० सी० नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 26th September, 1978

NOTIFICATION

S.O. 570(E)/18FB/IDRA/78.—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S. O. 547 (E)/18FB/IDRA/75 dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central

Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that :—

(a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertaking known as Messrs. Sen and Pandit Industries Limited, Calcutta; and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it immediately before the date of publication of that Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 26th September, 1978;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 26th September, 1979.

[File No. 2/28/75-CUC]

P. C. NAYAK, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978